

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:- 231/2013

निर्णय दिनांक:- 28.01.2025

पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)



1. धूल्या पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम चांदमा खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. सांझा देवी धर्मपत्नि रोडूराम
2. रोडूराम पुत्र भूरा
जातियान जाट निवासी ग्राम धुंवालियां तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. उपतहसीलदार/उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:- श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता वादी
श्री शेरसिंह नरुका अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगा. 2

वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा०टी०एक्ट

:- निर्णय :-

दिनांक:- 28.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम धुंवालियां के सम्बन्ध में दिनांक 31.05.2017 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/22/3943 दिनांक 21.09.22 के द्वारा नक्शे - कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा - कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत मानने का कोई आधार नहीं है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा - कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

लगातार.....2



धुल्या बनाम सांझा देवी बगै0
मु0न0:- 231/2013
निर्णय दिनांक:- 28.01.2025

(2)

—आदेश:—

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्लिदयत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	धुल्या पुत्र श्योकरण हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. चांदमा खुर्द	540/5/1	1.8968	बारानी 3	
	योग	किता 1	1.8968		
2	सांझा देवी पत्नि रोडूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार रोडू पुत्र चन्द्रा द.पु. भूरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	540/5/2	1.8967	बारानी 3	
	योग	किता 1	1.8967		

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. धूल्या पुत्र शयोकरण जाति जाट निवासी ग्राम चांदमा खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. सांझा देवी धर्मपत्नि रोडूराम
2. रोडूराम पुत्र भूरा
जातियान जाट निवासी ग्राम धुंवालियां तहसील फागी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. उपतहसीलदार/उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

::- वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::-

मु०न०- 231/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री विनोद कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री शेरसिंह नरुका मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा - कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होंगे।

निज..........मुबलिया..........बाबत..........
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..........फीसदी.....
..सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......... का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर
ओहदा.....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		


मु०न०- 231/2013
जयपुर



धूल्या बनाम सांझा देवी वगै०
मु०न०:- 231/2013
निर्णय दिनांक:- 28.01.2025

क्र. स	नाम खातेदार मध्य वल्लिद्यत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	धूल्या पुत्र श्योकरण हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. चांदमा खुर्द	540/5/1	1.8968	बारानी 3	
	योग	किता 1	1.8968		
2	सांझा देवी पत्नि रोडूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार रोडू पुत्र चन्द्रा द.पु. भूरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	540/5/2	1.8967	बारानी 3	
	योग	किता 1	1.8967		

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



28/1/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते